दिनाक 03.07.2022
प्रेस विज्ञप्ति 03/2022

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद मैनपुरी/थाना कुरावली

- **पुलिस कार्यवाही में 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त सहित 02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट के 09 हजार 600 रूपये नगद**
- **02 अवैध तमंचा 315 बोर, 04 जीवित, 02 खोखा कारतूस**
- **घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल बरामद**

दिनांक 02.07.2022 को थाना कुरावली पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर नगला ऊसर मोड़ के पास चेकिंग के दौरान मोटर साइकिल सवार बदमाशों को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में पुरस्कार घोषित अभियुक्त मुनेश उर्फ मनीष उर्फ मनोज घायल हो गया, जिसे अभियुक्त राजीव सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से लूट के 09 हजार 600 रूपये नगद, 02 अवैध तमंचा 315 बोर, 04 जीवित, 02 खोखा कारतूस, घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल बरामद हुई। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त मुनेश उर्फ मनीष उर्फ मनोज के विरूद्ध जनपद मैनपुरी के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, लूट, चोरी, एनडीपीएस एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 22 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त मुनेश उर्फ मनीष उर्फ मनोज थाना कुरावली पर पंजीकृत लूट के अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना कुरावली पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–मुनेश उर्फ मनीष उर्फ मनोज निवासी नगला कैल थाना एलाऊ जनपद मैनपुरी।

2–राजीव निवासी नगला कैल थाना एलाऊ जनपद मैनपुरी।

बरामदगी

1–लूट के 09 हजार 600 रूपये नगद।

2–02 अवैध तमंचा 315 बोर, 04 जीवित, 02 खोखा कारतूस।

3–घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल।

जनपद शाहजहाँपुर/थाना रौजा

- **25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 08 मोटर साइकिल**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित कारतूस बरामद**

दिनांक 02/03.07.2022 की रात्रि थाना रौजा व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर मोहम्मदी रोड के पास चेकिंग के दौरान पुरस्कार घोषित अभियुक्त शबाब उर्फ पच्चू को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से चोरी की 08 मोटर साइकिल, 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित कारतूस बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जो थाना कोतवाली पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना रौजा पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–शबाब उर्फ पच्चू निवासी मुन्नवरगंज बरेण्डा थाना कांट जनपद शाहजहाँपुर।

बरामदगी

1–चोरी की 08 मोटर साइकिल।

2–01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित कारतूस।

जनपद सम्भल/थाना कोतवाली सम्भल

- **25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 मोबाइल फोन, आधार कार्ड, एटीएम कार्ड, पासबुक लाइटर आदि**

दिनांक 02.07.2022 को थाना कोतवाली सम्भल पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर वाजिदपुरम बाईपास के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त राजा अन्सारी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 मोबाइल फोन, आधार कार्ड, एटीएम कार्ड, पासबुक लाइटर आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना कोतवाली सम्भल पर पंजीकृत मु0अ0सं0 212/2022 धारा 436/427 भादवि व 4 लोक सम्पत्ति क्षति निवारण अधिनियम में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली सम्भल पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–राजा अन्सारी निवासी तुर्तीपुर इल्हा थाना नखासा जनपद सम्भल।

<u>बरामदगी</u>

1—01 मोबाइल फोन, आधार कार्ड, एटीएम कार्ड, पासबुक लाइटर आदि।

- **<u>जनपद लखीमपुर खीरी (गैंगेस्टर एक्ट में लगभग 05 करोड़ 73 लाख 71 हजार 200 रूपये कीमत की सम्पत्ति कुर्क/जब्तीकरण की कार्यवाही)</u>**

जनपद लखीमपुर खीरी पुलिस ने अभियुक्त 1—सरवर खां 2—शब्बन खां 3—सब्बीर खां 4—बाबू खां पुत्रगण इरशाद खां 5—दिलशाद खां 6—महबूब खां पुत्रगण शमशाद खां निवासी बरैंची सिसौरा नासिर थाना पसगवां जनपद लखीमपुर खीरी द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गयी चल/अचल सम्पत्ति कीमत करीब 05 करोड़ 73 लाख 71 हजार 200 रूपये को गैंगेस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अन्तर्गत कुर्क/जब्तीकरण की कार्यवाही की गयी।

- **<u>जनपद मुजफ्फरनगर (गैंगेस्टर एक्ट में लगभग 50 लाख रूपये कीमत की सम्पत्ति कुर्क/जब्तीकरण की कार्यवाही)</u>**

जनपद मुजफ्फरनगर पुलिस ने अभियुक्त राजबीर त्यागी पुत्र बनारसी दास निवासी पावटी खुर्द थाना चरथावल जनपद मुजफ्फरनगर द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गयी चल/अचल सम्पत्ति कीमत करीब 50 लाख रूपये को गैंगेस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अन्तर्गत कुर्क/जब्तीकरण की कार्यवाही की गयी।

————————